पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

कम उपस्थिति (Short Attendance) के कारण परीक्षा में बैठने पर रोक (DETAIN) छात्र/छात्राओं हेतु नियमावली

दिनांक 06.03.2024 को हुई 11वीं विद्या परिषद की बैठक में अनुमोदित तथा दिनांक 24.12.2024 को परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित डिटेन नियमावली-2024 लागू होगी। जिसके नियम निम्नलिखित हैं-

1. एक शैक्षणिक सत्र दो सेमेस्टर (विषम और सम सेमेस्टर) या एक वर्षीय पाठ्यक्रम/ अन्य का होता है। छात्र/छात्राओं के उपस्थिति की गणना सत्र के प्रारम्भ से या उनके प्रवेश तिथि से जो बाद में होगा उससे प्रारम्भ होगी।

2. छात्र/छात्रा के उपस्थिति की गणना यज्ञ, योग एवं शैक्षणिक मिलाकर 80 प्रतिशत तथा विषयवार 80 प्रतिशत की होगी। 80 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर परीक्षा में न बैठने (DETAIN) नियम लागू होंगे।

3. a. ऐसे छात्र/छात्राएं जो विषम सेमेस्टर(ODD Semester) की परीक्षा में बैठने से रोके गए हैं तो उनके पास अवसर होगा कि वह सम सेमेस्टर की पढ़ाई करें और उसे पूर्ण करें तथा अगले वर्ष विषम सेमेस्टर (ODD Semester) मे पुनः प्रवेश लेकर अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते है या पूरे सत्र को छोड़कर अगले वर्ष पुनः प्रवेश लेकर दोनों सेमेस्टर (विषम व सम सेमेस्टर) की पढ़ाई कर पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते है। या ऐसे छात्र/छात्राएं जिनकी उपस्थिति नियम 2 के अनुसार नहीं है और उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका गया है तो उनके लिए अगले वर्ष में पढ़ने का अवसर होगा परन्तु ऐसे छात्र/छात्राएं अगले वर्ष के विषम सेमेस्टर (ODD Semester) में कम उपस्थिति के कारण रोके गए विषयों की अतिरिक्त कक्षा करनी होगी तथा 80 प्रतिशत की उपस्थिति पूरी कर परीक्षा देकर उत्तीर्ण कर सकते हैं। छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम पूर्व वर्ष के विषम व सम सेमेस्टर को मिलाकर विश्वविद्यालय नियमानुसार बनाया जायेगा।

   b. ऐसे छात्र/छात्राएं जो कम उपस्थिति के कारण सम सेमेस्टर (Even Semester) की परीक्षा में बैठने से रोके (DETAIN) गये हैं उनके लिये अगले वर्ष में अवसर होगा कि वे केवल सम सेमेस्टर (Even Semester) में पुनः प्रवेष लेकर परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते है या अगले वर्ष पुनः प्रवेश लेकर विषम सेमेस्टर व सम सेमेस्टर (दोनों सेमेस्टर) की परीक्षा देकर उत्तीर्ण कर सकते है। या ऐसे छात्र/छात्राएं जिनकी उपस्थिति नियम 2 के अनुसार नहीं है और उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका गया है तो उनके लिए अगले वर्ष में पढ़ने का अवसर होगा परन्तु ऐसे छात्र/छात्राएं अगले वर्ष के सम सेमेस्टर (Even Semester) में कम उपस्थिति के कारण रोके गए विषयों की अतिरिक्त कक्षा करनी होगी तथा 80 प्रतिशत की उपस्थिति पूरी कर परीक्षा देकर उत्तीर्ण कर सकते हैं। छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम पूर्व वर्ष के विषम व सम सेमेस्टर को मिलाकर विश्वविद्यालय नियमानुसार बनाया जायेगा।

   c. ऐसे छात्र/छात्राएं जो एक वर्षीय पाठ्यक्रम में पढाई कर रहे हैं और कम उपस्थिति के कारण परीक्षा देने से रोके गए (DETAIN) हैं तो ऐसे छात्र/छात्राएं अगले सत्र में पुनः प्रवेश लेकर परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं।

   d. ऐसे छात्रों का परिणाम पास/ पुनर्परीक्षा/ फेल विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही बनेगा यानि किसी भी विषयों में उत्तीर्ण होने हेतु पास अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

3. विशेष परिस्थितियों में कुलपति द्वारा कम उपस्थिति वाले (DETAIN) छात्र/छात्राओं की विषेष अवसर प्रदान किया जा सकता है।

Akph
27/12/2024

(डॉ. ए. के. सिंह)
परीक्षा नियन्त्रक
पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

Controller of Examination
University of Patanjali Haridwar